स्पीड पोस्ट

पत्र संख्या : 1/प्र0वि0–1–48/2011–सा0 प्र0– 10681/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

***

प्रेषक,

आर0 लक्ष्मणन, भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

बिहार संवर्ग के सभी भा0प्र0से0, पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक : 1-8- ~~जुलाई~~, 2014

विषय :– **अन्तर – संवर्गीय प्रतिनियुक्ति और संवर्ग परिवर्तन की प्रक्रिया के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त निदेशानुसार कहना है कि दिनांक–27.09.2013 को नई दिल्ली में सम्पन्न सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार और राज्यों के प्रधान सचिवों (सामान्य प्रशासन) के साथ माननीय राज्य मंत्री , कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की बैठक में अन्य प्रश्नों के साथ विषयगत प्रश्न पर भी विचार –विमर्श हुआ था।

2. मामले में विचारोपरान्त यह मत गठित हुआ कि अन्तर–संवर्गीय प्रतिनियुक्ति और संवर्ग परिवर्तन के आवेदन संबंधित पदाधिकारी सीधे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार को प्रेषित नहीं करेंगे। भविष्य में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा ऐसे ही आवेदनों को स्वीकार किया जायेगा जो पैतृक संवर्ग की अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

3. अतः अनुरोध है कि अन्तर– संवर्गीय प्रतिनियुक्ति और संवर्ग परिवर्तन के आवेदन सीधे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार को प्रेषित करने के स्थान पर संवर्ग नियंत्री प्राधिकार के समक्ष समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि सक्षम प्राधिकार की सहमति के उपरान्त इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई पूरी की जा सके।

विश्वासभाजन,
31-7.
सरकार के अपर सचिव।